

फर्द अहकाम

नियम 20

जज अदालत

इसो डी. डम

मुकाम

कोटा

कसना

बनाम

सामीरा

किस्म मुकदमा

88 RTAG.

नं.

8/16

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२९/६/१६	<p>पगावली राजस्व लोक अदालत शिविर द्वारा आपके द्वार 'मुकाम कोटा' में प्रस्तुत वाली एवं उतिवादी उपस्थित वाली ने कथित किया कि सजरा अउसर परिवार का मूल पुरुष देवा पिता मोती धर जिन्के सामीरा, अहना एवं कसना हुये वक्त सेटलमेन्ट सामीरा बड़ा पुत्र होने के नाते वारीस घोषित किया गया अहना और कसना का नाम छुट गया। बाद में अहना पिता देवा के खातेदारी अखिला के तहत भूमि आपत्त हुई और तिसरा भाई कसना का नाम होने भूमि में दर्ज नहीं हुआ। अहना की मृत्यु के बाद सार्वजनिक, मठा एवं हागनी परिन स्व अहना, और मा भुरका पिता नागिया के नाम दर्ज हुई परन्तु क्योंकि सजरा मुताबिक सभी वारीसान एक ही परिवार से होने से एवं होने भूमि पर बराबर बराबर हिस्से अनुसार कच्चे कश्त होने से वाली उतिवादी दोनों पक्षों ने शपथनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया की दोनों भूमि में हमारा नाम जोडने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जो बाद सत्यापन शामिल पगावली किया जाकर वाद स्वीकार कर दर्ज रजिस्टर किया गया पगावली के अवलोकन एवं मौतबिरान से पृष्ठताह एवं राजीनामा के आधार पर मांजा सावन का ब्यादा पटवार की गुरा के खाता संख्या 89 में दर्ज कुल आराजीयात 13 रकबा 7.05</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	---

भुमी के दर्प कारतकार के बजाय कसनापिता
 देला को 1/3 सामीरा पिता देला को 1/3 साईबा
 सका, मणा पिता अडना हागणी पतिन स्व अडना
 को 4/15 इंव वीरमा, सुरका पिता नागिया को
 1/15 सामीरा पिता देला अमेती सां देह रहल
 भुं वि० वी० लि० उदयपुर इंव खाता सं० ०५
 में वर्णित आराजीयात कुल किला । रकबा ७
 बीघा में दर्प कारतकार के बजाय कसनापिता
 देला को 1/3 सामीरा पिता देला को 1/3 साईबा
 सका, मणा, पिता अडना हागणी पतिन स्व,
 अडना को 4/15 इंव वीरमा सुरका पिता नागिया
 को 1/15 खातेदार कारतकार दोषित किया
 जात है।

निर्णय सुनाया गया

7/11
 उपखण्ड अधिकारी
 कोटड़ा (जिला उदयपुर)

डिक्री व मुकदमें इत्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ~~कोटडा~~ जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल मीना (RAS) कोटडा
मुकदमा 8/16 सन 29/06/16 सीगह

श्री कसूना पिता दत्ता बनाम श्री सामीरा पिता दत्ता
नि सावन का क्यात साईबा, सका, मणा पिता अठना
नि सावन का क्यात

दावा बाबत ER RT Act.

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री गोपाल लाल मीना के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
वादी की ओर से वकील श्री स्वयं प्रतिवादी की ओर से वकील स्वयं

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

क्यात पच्चार दोग गुरा की जमाबंदी सेवत 2072 से 75
मैस के खाता सं 89 एवं 04 में दूय काश्तकारों के बजाय
कसूना पिता दत्ता को 1/3 सामीरा पिता दत्ता को 1/3
साईबा, सका, मणा पिता अठना हा मणी पति स्व अठना को
4/15 बीजा, गुरका पिता नागिया को 1/15 का खातेहार
काश्त कार घोषित किया जाता है।

विजय

और इस वाद के खर्चे लेखे रुपये की राशि आज की तारीख
से वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत की दर से ब्याज सहित
द्वारा को दी जाये।

यह आज तारीख 29/6/16 मार सन को
मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(गोपाल लाल मीना)
हस्ताक्षर न्यायाधीश
पद उपखण्ड अधिकारी
कोटडा (जिला उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		